Litigation under Urban Land Ceiling Act

806. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

SHRI SOM PAL:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is fact that a very large area of urban lands have remained unutilised or encroached upon due to litigation under Urban Lands Ceiling Act and very little land has come under Government possession; and

(b) what are the measures Government propose to take to rectify this situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The implementation of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 is the responsibility of the respective State Governments, and as such Government of India does not compile information on the extent of urban land under litigation or encroachement.

(b) Proposals for amendment to the Urban Land Ceiling Act have been formulated to give incentive for better utilisation of the land and to streamline the litigation process. However, no final decision has yet been taken.

आरक्षणों में धांधलेबाजी को रोकने के लिए उठाये गये कदम

807. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे आरक्षण में धांधलेबाजी को कम करने तथा यात्रियों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका देश के चार महानगरों में जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) आरक्षण में कदाचार समाप्त करने तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं सुलभ कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) 22 शहरों में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था की गई है जिसके परिणामस्वरूप आरक्षण कराने में लगने वाला समय कम हो गया है तथा लाइनें भी छोटी हो गई हैं।

(ii) ग्राहकों के आस-पास ही सेवा सुलभ कराने के लिए कई सेटेलाइट आरक्षण कार्यालय खोले गए हैं।

(iii) 51 स्टेशनों पर ऑटोमैक्स सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि आगे तथा वापसी यात्रा के लिए आरक्षण संदेश शीघ्रता से भेजे जा सकें।

(iv) चुनिंदा स्टेशनों पर टोकन प्रणाली शुरू की गई है ताकि आरक्षण खिड़कियों पर अधिक भीड़-भाड़ न हो तथा अधिक समय तक लाइन में खड़ा होने की आवश्यकता न पड़े।

(v) नए रेल अधिनियम में टिकटों की बिक्री तथा खरीद में संलिप्त, अनधिकृत रूप से व्यापार करने तथा हस्तांतरित टिकटों पर यात्रा करने वालों को दिए जाने वाले दण्डों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। ये उपबन्ध आरक्षित टिकटों की अनधिकृत रूप से बिक्री, खरीद या हस्तान्तरण को रोकने का काम करेंगे।

(vi) समय-समय पर निरन्तर जांच की गई हैं तथा दलालों को पकड़ा गया है तथा उन पर मुकदमा चलाया गया है।

Construction of Srisailan Right Branch Canal Scheme, Andhra Pradesh

808. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state.

(a) what is the progress made in the construction of Srisailan Right Branch Canal Scheme in Andhra Pradesh;